भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **865**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना

865. श्री दिलीप शइकीया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम-प्रणाम योजना की मुख्य विशेषताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना से रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है;
(ग) क्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी उक्त योजना का हिस्सा बनाए जाने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): आर्थिक कार्य संबंधी की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)"को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य सतत और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत शामिल किए गए हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के बराबर है।

******